रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 15 नवम्बर, 2000/24 कार्तिक, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2000

संख्या एल0 एल0 आर0-डी (6)-19/2000-लैज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 13 नवम्बर, 2000 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश सख्यांक 1) को, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2000 का अध्यादेश संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2000

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अध्यादेश का नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2000 है।

2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (13) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"कुटुम्ब" से, एक ही पूर्वज से अवजनित, दत्तक ग्रहण सहित, सभी सदस्यों का अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो पंचायत के परिवार रजिस्टर में यथा दर्शित, स्थाई रूप में एक साथ निवास, पूजा तथा भोजन करता है;

(ख) खण्ड (46) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(46-क) 'वार्ड' से, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में सृजित खण्ड/निर्वाचन क्षेत्र, जिसके प्रतिनिधित्व के लिए इस अधिनियम के अधीन सदस्य निर्वाचित किया जाना है या निर्वाचित किया गया है, अभिप्रेत है;"।

3. धारा 5 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उप धारा (1) में, "प्रतिवर्ष दो साधारण बैठकें करेगी, एक ग्रीष्म ऋतु में और दूसरी शीत ऋतु में" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिवर्ष, प्रत्येक त्रिमास के प्रथम रविवार को चार साधारण बैठकें करेगी," शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ख) उप-धारा (1) के परन्तुक में, "आठ मास" शब्दों के स्थान पर, "चार मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उप-धारा (3) में, "इसके कुल सदस्यों की संख्या का पांचवा भाग होगी," शब्दों के स्थान पर "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटम्बों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई," शब्द रखे जाएंगे; और

(घ) उप-धारा (3) के परन्तुक में "इसके सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दसवां भाग", शब्दों के स्थान पर "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवां भाग," शब्द रखे जाएंगे ।

4. धारा 7-क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7-क. उप-ग्राम सभा का गठन.—(1) प्रत्येक ग्राम सभा, ग्राम सभा के प्रत्येक वार्ड (निर्वाचन क्षेत्र) के लिए उप-ग्राम सभा भी गठित करेगी ।

(2) वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम सभा के सभी सदस्य, उस वार्ड की उप-ग्राम सभा के सदस्य होंगे ।

(3) प्रत्येक उप-ग्राम सभा, प्रतिवर्ष कम से कम दो साधारण बैठकें बुलाएगी और ऐसी बैठकों, जिनके लिए उप-धारा (1) के अधीन उप-ग्राम सभा गठित की गई है, को संचालित करने का उत्तरदायित्व, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य का होगा । उप-ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, वार्ड सदस्य द्वारा की जाएगी, जो कार्यवाहियां भी अभिलिखित करेगा ।

(4) उप-ग्राम सभा की बैठकों का समय और स्थान, वार्ड सदस्य द्वारा ऐसी रीति में जैसी राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित करे, नियत किया जाएगा ।

(5) उप-ग्राम सभा, ग्राम सभा की साधारण बैठक में इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सदस्यों को नामनिर्देशित करेगी और यह सदस्य ऐसी रीति से नामनिर्देशित किए जाएंगे जिसमें वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले कुल कुटुम्बों का 15 प्रतिशत नामनिर्दिष्ट किया जाए, बशर्ते कि नामनिर्देशनों का एक तिहाई महिलाओं से होगा:

परन्तु यह नामनिर्देशन ग्राम सभा के किसी सदस्य को, ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने से विवर्जित नहीं करेगा ।

(6) उप-ग्राम सभा इसके क्षेत्र से सम्बन्धित विवाद्यकों पर विचार कर सकेगी और ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को सिफारिशें कर सकेगी ।" ।

5. धारा 13 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 13 में, खण्ड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(न) लोक सम्पत्ति जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक सड़क, पथों पर मील पत्थरों, सिंचाई एवं जलापूर्ति स्कीम, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक कुओं, बम्बों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य/पशुपालन आयुर्वेदिक संस्थान भवनों का संरक्षण ।" ।

6. धारा 110 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 110 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु ग्राम पंचायत को उधार लेने के लिए ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा :

परन्तु यह और कि यदि उधार, आय बढ़ाने वाली परिसम्पत्तियों के लिए लिया जाना है और परियोजना, उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक/वित्तीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित किया

गया है, तो उधार लेने के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं होगा तथापि परियोजना, जिसमें परियोजना की विशिष्टियां अन्तर्वेलित होंगी के ब्यौरों के बारे में सरकार को सूचित करना आवश्यक होगा।"।

7. धारा 131 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 131 में, उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

"(6) किसी ग्राम पंचायत में, उस विस्तार तक आकस्मिक रिक्तियां घटित होने की दशा में, कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति पूर्ण नहीं करती है तब ग्राम पंचायत की सभी शक्तियां और कर्तव्य, तब तक जब तक इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार नए सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते है, व्यक्तियों की समिति द्वारा, जिसे अधिनियम की धारा 140 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जाए, प्रयोग और पालन किए जाएंगे।"।

8. धारा 138 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 138 में, उप-धारा (2) में, शब्द और चिन्ह "की पुष्टि कर सकेगी, उसे" के स्थान पर शब्द "को" रखा जाएगा।

9. धारा 184 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम को धारा 184 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"184 विकास योजनाएं तैयार करना.—(1) यथास्थिति, प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, अनुसूची-1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों तथा ऐसे अन्य कृत्यों का जैसा राज्य सरकार द्वारा उनके अपने-अपने क्षेत्र में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपलब्ध निधि में से पालन करने के लिए, प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

(2) यथास्थिति, प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, अपने-अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए, प्रत्येक वर्ष विकास योजना की स्कीमें तैयार करेगी और इस अधिनियम के अधीन गठित की गई जिला योजना समिति को प्रेषित करेगी।"।

10. धारा 185 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 185 में:—

(क) उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और ऐसे पुन:संख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड (क) अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) राज्य सरकार द्वारा चयन किया जाने वाला मन्त्री, जो जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी होगा;"; और

(ख) उप-धारा (5) का लोप किया जाएगा।

विष्णुकांत शास्त्री,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला:
दिनांक 13-11-2000.

सचिव विधि,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 1 of 2000

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2000.

AN

ORDINANCE

to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994);

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-first year of the Republic of India.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (I) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following ordinance:—

1. *Short title.*—This Ordinance may be called Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2000.

2. *Amendment of section* 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(*a*) after clause (13), the following shall be added, namely:—

"(13-A) "family" means a joint family of all persons descended from common ancestor including adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the parivar register of the Panchayat;"; and

(*b*) after clause (46), the following shall be added, namely:—

"(46-A) 'Ward' means a segment/constituency created in a Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, as the case may be, for the representation of which a member is to be or has been elected under this Act;".

3. *Amendment of section* 5.—In section 5 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) for the words "two general meetings in each year, one in the summer and the other in the winter", the words "four general meetings in each year on the first Sunday of every quarter" shall be substituted;

(*b*) in proviso to sub-section (1) for the words "eight months", the words "four months" shall be substituted;

(*c*) in sub-section (3) for the words "one-fifth of the total number of its members", the words "representation of at least one-third of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha" shall be substituted; and

(*d*) jn proviso to sub-section (3) for the words "at least one-tenth of the total number of its members", the wards "representation of at least one-fifth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha" shall be substituted·

4. *Insertion of section 7-A.*—After section 7 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"**7-A. Constitution of the Up-Gram Sabha.**—(1) Every Gram Sabha shall also constitute Up-Gram Sabha for each word (constituency) of the Gram Sabha.

(2) All the Gram Sabha members residing in the area of the ward shall be members of the Up-Gram Sabha of that ward.

(3) Every Up-Gram Sabha shall hold at least two general meetings in each year and it shall be the responsibility of the member of the Gram Panchayat representing the ward, for which Up-Gram Sabha has been constituted under sub-section (1), to convene such meetings. The meeting of the Up-Gram Sabha shall be presided over by the ward member, who shall also record the proceedings.

(4) The time and place of the meetings of the Up-Gram Sabha shall be fixed by the Waid member in such manner as may be prescribed by the State Government, by general or special order.

(5) The Up-Gram Sabha shall nominate its members to represent it in the general meeting of the Gram Sabha and these members shall be nominated in a manner so that 15% of the total families residing in the area of the ward get nominated provided that one-third of the nominations shall be of women:

Provided thai this nomination shall not debar any member of Gram Sabha from attending the general meeting of the Gram Sabha.

(6) The Up-Gram Sabha may deliberate on issues relating to its area and make recommendations to the Gram Panchayat or Gram Sabha.".

5. *Amendment of Section 13.*—In section 13 of the principal Act, after clause (s) the following shall be added: namely—

"(t) protect public property such as sign boards, mile-stones on public roads, paths, irrigation and water supply schemes, public taps, public wells, hand pumps, community centres, mahila mandal bhawans, School buildings, Health/Veterinary/ Ayurvedic Institution buildings.".

6. *Amendment of Section 110.*—After section 110 of the principal Act, the following shall be added, namely:—

"Provided that the Gram Panchayat shall be required to obtain prior approval of the Gram Sabha for raising a loan:

Provided further that if loan is to be raised for creation of income generating assets and the project is assessed by the lending institution as economically/financially viable, previous sanction of the State Government shall not be essential for taking a loan. It shall however be mandatory to inform the Government about the details of the project which will include the particulars of the project.".

7. *Amendment of Section* 131.—In section 131 of the principal Act, after sub-section (5), the following shall be added, namely:—

"(6) In the event of occurrence of casual vacancies in any Gram Panchayat to the extent that the number of the remaining elected office bearers do not fulfil the required quorum for convening a meeting of the Gram Panchayat then all powers and duties of the Gram Panchayat shall be exercised and performed by a committee of persons which may be appointed in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (3) of section 140 of the Act till new members are elected in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.".

8. *Amendment of Section* 138.—In section 138 of the principal Act, in sub-section (2), the word "confirm" shall be omitted.

9. *Substitution of section* 184.—For section 184 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"184. **Preparation of Development Plans.**—(1) Every Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, as the case may be, shall prepare every year a development Plan to perform functions specified in Schedule-I and II and such other functions that may be specified by the State Government within their respective area from out of the funds available with them.

(2) Every Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, as the case may be, shall prepare every year a development Plan of schemes for economic development and social justice for their respective area and submit it to the District Planning Committee constituted under this Act.".

10. *Amendment of Section* 185.—In section 185 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (2), the existing clause (a) shall be re-numbered as clause (aa) and before clause (aa) so re-numbered, the following clause (a) shall be inserted, namely :—

"(*a*) A Minister to be chosen by the State Government who shall also be the Chairperson of the District Planing Committee;"; and

(*b*) sub-section (5) shall be omitted.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।